सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-40 अंक 20 22 अक्तूबर से 5 नवम्बर 2025 मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष कुल पृष्ठ : 8 मूल्य : 4 रुपये पृष्ठ 1

बिहार विधानसभा चुनाव -2025

क्रांतिकारी वामपंथ के परचम को बुलंद करने के लिए एसयूसीआई (सी) ने की 19 जिलों से 40 प्रत्याशियों की घोषणा

पटना (बिहार): 11 अक्तूबर को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 19 जिलों से पार्टी के 40 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई।

नाला रोड स्थित पार्टी राज्य कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य सह बिहार राज्य सचिव कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने क्रांतिकारी वामपंथ के परचम को बुलंद करने के लिए वर्ग संघर्ष व जन आन्दोलन की आवाज एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लम्बे अर्से तक कांग्रेसी शासन, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव और फिर उसके बाद नीतीश कुमार के शासन के बावजूद बिहार आज भी सबसे

पटना: प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कॉमरेड अरुण कुमार सिंह

पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। रोजगार के घोर अभाव की वजह से यहां के युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों में आज भी पलायन कर रहे हैं। राज्य में सरकारी शिक्षा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। स्वास्थ्य सेवा डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ की घोर कमी से जूझ रही है। महंगाई चरम पर है। किसानों को बोआई के समय ऊंचे दामों पर खाद-बीज खरीदना पड़ता है। घाटे की खेती के कारण किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। कभी बाढ़, तो कभी सुखाड़ से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। गरीबी का आलम यह है कि राज्य में लगभग एक करोड़ लोगों के पास रहने को अपना घर नहीं है। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट बनाने के नाम पर अडानी को एक रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 1050 एकड़ जमीन दे दी गयी। जबकि राज्य में बड़े पैमाने पर बंद पड़े कारखाने नहीं खोले जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि भाजपा-जदयू की सरकार गरीबों, भूमिहीन किसानों और आम आवाम के हित में नहीं, बल्कि पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के हित में काम कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार,

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी का विरोध

ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की अखिल भारतीय कमेटी ने उस घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है, जिसमें अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी द्वारा नई दिल्ली में संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को प्रवेश करने से वंचित कर दिया गया।

अफगानिस्तान की तालिबान नेतृत्व वाली सरकार के विदेश मंत्री द्वारा प्रदर्शित यह महिला-विरोधी, पितृसत्तात्मक और कट्टरपंथी रवैया घोर निंदनीय है। जब आज के समय में महिलाओं के प्रति हर प्रकार का भेदभाव खत्म करने की जरूरत है, तब अफगान सरकार का यह कदम समाज को पीछे धकेलने वाला है। अगर ऐसे प्रयासों का प्रतिकार नहीं किया गया और इन्हें सख्ती से नहीं रोका गया, तो महिलाएं निश्चित रूप से फिर से मध्यकालीन अंधकारमय युग की ओर धकेल दी जाएंगी।

एआईएमएसएस अफगान सरकार के इस अमानवीय कृत्य पर भारत सरकार द्वारा साधे रखी गई चुप्पी की कड़ी निंदा करता है। भारत सरकार को इस महिला-विरोधी और अपमानजनक व्यवहार की सख्त निंदा करनी चाहिए थी, अन्यथा यह रवैया ऐसे दृष्टिकोण के प्रति उसकी मौन स्वीकृति के रूप में देखा जाएगा।

एआईएमएसएस आम जनता से, खासकर महिलाओं से आह्वान करता है कि वे ऐसे लिंगभेदी भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करें और इस अन्याय का पुरजोर विरोध करें।

आरएसएस के सौ सालः एक विमर्श

आरएसएस-भाजपा का छद्म राष्ट्रवाद-देशभक्ति

गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य बातों के अलावा कहा था कि ''आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ... राष्ट्र-निर्माण के संकल्प के साथ, स्वयंसेवक एक सदी से अधिक समय से मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। ... राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, जिसके समर्पण का एक सदी लंबा इतिहास है। ...मैं उन सभी स्वयंसेवकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा की इस शताब्दी-लंबी यात्रा में योगदान दिया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की इस समर्पित और गौरवशाली यात्रा पर राष्ट्र गर्व करता है, जो हमें प्रेरणा देती रहेगी।'' फिर उन्होंने सभी को याद दिलाया कि इस वर्ष ''. ..डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। ...भारत के संविधान के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले महापुरुष थे। ... अनुच्छेद 370 की दीवार को हटाना और ''एक राष्ट्र, एक संविधान'' के मंत्र को चरितार्थ करना।'' कुछ दिन पहले, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने विभाजन पर एक विशेष मॉड्यूल जारी किया है, जिसमें देश के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को दोषी ठहराया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी एक पोस्टर में सावरकर की फोटो को गांधीजी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और भगत सिंह से ऊपर रखकर दिखाया गया है, जो सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहा है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

केंद्र सरकार की कृषि-विरोधी व किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ

एआईकेकेएमएस ने की विशाल किसान पंचायत

अमरोहा (उत्तर प्रदेश) : अमरोहा जिला अधिकारी कार्यालय पर 13 अक्टूबर को ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया।

पंचायत में पहुंचे एसडीएम को 4 सूत्री मांग-पत्र सौंपा गया, जिसमें नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा में शामिल करने, गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने, बकाया का भुगतान करने, स्मार्ट मीटर योजना व बिजली बिल वापस लेने, किसान-खेत मजदूरों को 10,000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन देने व उन्हें कर्जमुक्त करने की मांग की गई।

संगठन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड शंकर घोष ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों से जल-जंगल-जमीन छीनकर अडानी-अम्बानी जैसे पूंजीपतियों को सौंप रही है। इसके खिलाफ किसानों को बड़ा संघर्ष करना होगा।

इस मौके पर जाने-माने किसान नेता कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा में शामिल करने का संघर्ष जारी रहेगा।

पंचायत में लगभग 30 गांवों के हजारों किसानों ने भाग लिया।

प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक-2025 की एआईयूटीयूसी ने की कड़ी निंदा

प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक-2025 की कड़ी निंदा करते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने 17 अक्टूबर, 2025 को जारी प्रेस बयान में कहा:

''यह हमारे संज्ञान में आया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली (संशोधन) विधेयक-2025 का मसौदा प्रकाशित किया है और हमारे देश के एकाधिकारी पूंजीपतियों के संगठनों से 30 दिनों के भीतर राय मांगी है। पिछले सभी विधेयकों की तरह यह दावा किया गया है कि ''उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बिजली क्षेत्र को मजबूत करने व सुधारने के लिए'' प्रस्तावित विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। यह आश्चर्यजनक है कि प्रमुख हितधारकों, यानी श्रमिकों, कर्मचारियों, किसानों, उपभोक्ताओं और आम लोगों से राय नहीं मांगी गई है। जाहिर है, विधेयक का उद्देश्य एकाधिकारी पूंजीपतियों के वर्ग हित में संपूर्ण वितरण प्रणाली का निजीकरण करना है और बाद में समग्र बिजली क्षेत्र के निजीकरण के लिए आगे बढ़ना है।

मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, उपभोक्ताओं और आम जनता के कड़े विरोध के बावजूद, पूर्व विधेयक-2022 को लागू करने में विफल, भाजपा-नीत निरंकुश केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर वितरण प्रणाली का निजीकरण करने के लिए कई रास्ते अपना रही है।

प्रस्तावित विधेयक का मसौदा अडानी, टाटा, गोयनका, टोरेंट, एस्सार जैसी इजारेदार कंपनियों की वर्गीय इच्छाओं को आक्रामक रूप से पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान में बिजली लोगों की बुनियादी जरूरत है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो और भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि की तरह यह नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया है। इसलिए किसी भी बहाने इसे मुनाफा कमाने की वस्तु नहीं माना जा सकता।

संक्षेप में, विधेयक में बिजली अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि विद्युत नियामक आयोगों के लिए लागत-आधारित शुल्क निर्धारित करना अनिवार्य हो जाए। विधेयक में किसी भी उपभोक्ता समूह पर विशेष रूप से बोझ डाले बिना शुल्क तय करने का निर्देश दिया गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि निजी मालिकों के अधिकतम मुनाफे के मार्जिन को संतुष्ट करने के लिए बिजली की लागत तय की जानी चाहिए। शुल्क तय करने के लिए, उपभोक्ताओं के बीच मौजूदा वर्गीकरण यानी औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू, कृषि आदि सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। वितरण नेटवर्क साझा करने के नाम पर विधेयक ने कई लाइसेंसधारियों, यानी निजी ऑपरेटरों को सार्वजनिक धन की लागत से निर्मित सरकारी वितरण कंपनियों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति दे दी है। इससे ग्रिड में अराजकता पैदा हो सकती है। इसके अलावा, लाभप्रद क्षेत्रों को चुनिंदा लोगों के जरिये निजी एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा, जबकि सरकारी वितरण कंपनियों को ग्रामीण, घरेलू और कृषि क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति करनी होगी, जिससे सार्वजनिक उद्यमों को भारी वित्तीय कठिनाई होगी। निजी मालिकों के हित में सार्वभौमिक सेवा दायित्व को वापस लेने के आधार पर खुली पहुंच लागू करने से निश्चित रूप से बिजली की लागत बढ़ेगी और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का द्वार खुल जाएगा। यह गंभीर चिंता का विषय है कि विधेयक में विनिर्माण उद्यमों (यानी उद्योगपतियों), रेलवे आदि के हित में पांच वर्ष में क्रॉस-सब्सिडी वापस लेने का प्रस्ताव है। यह मौजूदा सब्सिडी वापस लेकर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के साथ समान व्यवहार करने का एक स्पष्ट प्रयास है। विधेयक में राज्य विद्युत नियामक प्राधिकरणों को बिजली दरों में संशोधन करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। इससे टैरिफ में संशोधन के मामले में हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका की अनदेखी होगी।

'कारोबार करने में आसानी' को बढ़ावा देने के नाम पर विधेयक ने इस मुख्य क्षेत्र को कॉर्पोरेटों का अड्डा बनाने के लिए फ्रेंचाइजी को लाइसेंस देने की बाध्यता सहित कई तरह की छूट प्रदान की है। विधेयक ने केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान की है, जिससे राज्य सरकारों की भूमिका कम हो गई है, जो भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत समवर्ती सूची के विषय की अवधारणा से स्पष्ट भटकाव है।

यह बिना कहे स्पष्ट है कि समय के साथ बिजली क्षेत्र के निजीकरण का प्रयोग बुरी तरह विफल रहा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के कई शहरों में बिजली क्षेत्र की वितरण विंग के निजीकरण का प्रयास किया गया था। लेकिन नियामक आयोगों ने खराब प्रदर्शन के आधार पर फ्रेंचाइजी के लाइसेंस रद्द कर दिये।

एआईयूटीयूसी का दृढ़ मत है कि प्रस्तावित विधेयक हमारे देश के संकटग्रस्त इजारेदारों को उनकी वर्तमान राजनीतिक प्रबंधक भाजपा-नीत एनडीए सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए वितरण प्रणाली के पूर्ण निजीकरण का एक ब्लू प्रिंट है और अगर यह संसद में पारित हुआ, तो न केवल उपभोक्ता, बल्कि इस विभाग में कार्यरत 15 लाख नियमित और 12 लाख संविदा कर्मचारी भी संकटग्रस्त स्थिति में आ जाएंगे।

उपरोक्त स्थिति में, प्रस्तावित काले विधेयक की कड़ी निंदा करते हुए और कठोर बिजली विधेयक-2025 को वापस लेने की मांग करते हुए एआईयूटीयूसी देशभर के मजदूर-कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से प्रस्तावित मजदूर-विरोधी, कर्मचारी-विरोधी, किसान-विरोधी व जनविरोधी इस काले विधेयक के खिलाफ एक जोरदार एकजुट आंदोलन गठित करने का आह्वान करता है और सभी राज्य सरकारों से अपील करता है कि वे राजनीतिक रंग-ढंग से ऊपर उठकर इस मुख्य क्षेत्र को इजारेदारों के विनाशकारी हमले से बचाने के लिए अपने राज्यों में इस विधेयक को लागू करने से परहेज करें।"

एमएसपी पर बाजरा की खरीद करने और पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज मुहैया कराने की किसानों ने उठायी मांग

नारनौल (हरियाणा) : न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बाजरे की सरकारी खरीद व रबी फसलों की बिजाई के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध कराने की मांग करते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने 6 अक्तूबर को यहां लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और कृषि व किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन एसडीएम, नारनौल को सौंपा।

प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पिछले 14 दिनों में एक भी दाना की खरीद सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं करना साफ दर्शाता है कि सरकार किसानों के साथ नहीं है। यह सरकार की वादाखिलाफी है।

जलभराव, बाढ़ आदि की रोकथाम और बरसाती पानी की निकासी की मांग पर

किसान पंचायत आयोजित

जमालपुर : किसान पंचायत को संबोधित करते हुए कॉमरेड सत्यवान

जमालपुर, भिवानी (हरियाणा) : जलभराव और बाढ़ की रोकथाम करने, खेतों से बरसाती पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध करने, बाढ़ से हुए नुकसान का शत प्रतिशत मुआवजा देकर बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने आदि मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के महत्वपूर्ण घटक एआईकेकेएमएस के बुलावे पर 9 अक्टूबर को भिवानी जिले के गांव जमालपुर के पंचायत घर में किसान पंचायत आयोजित की गई।

पंचायत की अध्यक्षता गुलाब सिंह नेहरा ने की। मुख्य वक्ता एआईकेकेएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड सत्यवान के अलावा सुखवीन्द्र पपोसा, दयानंद, सतबीर बोहल, महेंद्र कटारिया, सुखबीर और रोहतास ने भी महत्वपूर्ण सुझाव रखे। संगठन के जिला सचिव मास्टर बस्ती राम ने संचालन किया। पंचायत में बाढ़ग्रस्त इलाके के किसान-मजदूरों ने काफी संख्या में भाग लिया। 21 सदस्यीय किसान जन संघर्ष कमेटी बनायी गई।

वक्ताओं ने कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण भिवानी जिले के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। खेत डूबे हुए हैं, घर ढह गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मवेशी बह गए हैं, जमीन कीचड़मय यानी दलदली हो गई है, फसलें नष्ट हो गई हैं और सड़कें टूट गई हैं। पूंजीवादी विकास मॉडल के कारण बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, पहाड़ी राज्यों में प्रकृति-विरोधी कॉर्पोरेट विकास मॉडल के कारण पर्यावरण से छेड़छाड़ से जलवायु परिवर्तन, बादल फटने और बाढ़ की घटनाएं आने वाले वर्षों में मानव समाज के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही हैं। इस चुनौती का सामना करने में हमारे प्रशासनिक ढांचे की नीतिगत कमजोरी बार-बार खेतों में जलभराव और वर्तमान बाढ़ से उजागर हो गई है।

ऐसे हालात में, बाढ़ की रोकथाम के प्रबंध करना, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था करना और नुकसान की भरपाई करना सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आइन्दा ऐसी विनाशलीला न हो, इसके लिए पर्याप्त ठोस कदम उठाए जायें। जलभराव, बाढ़ की रोकथाम, बरसाती पानी की निकासी और जलभराव से हुए नुकसान की भरपाई कर किसानों व मजदूरों के जीवन को पटरी पर लाने के लिए पंचायत ने सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में सरकार से 7 मांगें कीं और अनुरोध किया कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करे और आवश्यक ठोस कार्रवाई करे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

रिश्वतखोरी और अफसरशाही सिर चढ़कर बोल रही है। लूट, हत्या और महिलाओं व बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ घटने का नाम नहीं ले रहा है।

कॉमरेड सिंह ने कहा कि राज्य में सत्ताधारी एनडीए की प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्ववाली केन्द्र सरकार द्वारा एक के बाद एक लागू की जा रही जनविरोधी नीतियों की वजह से बिहार सहित देश के आम लोग परेशान और तबाह हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेन्द्र मोदी ने जनता से जो वादे किये थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। गरीब और बदहाल हो रहे हैं, जबकि अडानी, अंबानी सहित अमीरों, धन्नासेठों और पूंजीपतियों के मुनाफे का अम्बार लगता जा रहा है। भाजपा-संघ परिवार आम लोगों के बीच धर्मांधता पैदाकर साम्प्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने हक-अधिकार के लिए आगे आने वाले लोगों, निडर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को डराया-धमकाया जा रहा है और उन्हें हवालात में बंद किया जा रहा है।

एक सवाल के जवाब में कॉमरेड सिंह ने कहा कि आज केन्द्र और राज्य सरकार के जनविरोधी कदमों व कार्रवाइयों के खिलाफ राज्य में तमाम वामपंथी ताकतों को मिलकर आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत है। लेकिन खेद की बात यह है कि महज कुछ सीटें हथियाने के लिए सीपीआई, सीपीआई (एम) और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन ने कांग्रेस और जात-पात के आधार पर चलने वाले राजद से गठजोड़ करते हुए वामपथ का परित्याग कर जन आन्दोलन और वर्ग संघर्ष को भारी नुकसान पहुचाया है। उनके द्वारा कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील व जनवादी होने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जबकि इसी कांग्रेस ने अपने लम्बे शासन में देश में फासीवाद का आधार तैयार करते हुए साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। भागलपुर साम्प्रदायिक दंगे और दिल्ली के सिख-विरोधी दंगे को अभी भी लोग भूले नहीं हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने देश की सत्ता में रहते हुए जनतंत्र का गला घोंटते हुए आपातकाल लगाया और तरह-तरह के काले कानून लागू किये।

उन्होंने कहा कि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) केन्द्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ क्रांतिकारी वामपंथ और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के परचम को बुलंद करते हुए जनता के जनवादी आन्दोलनों को विकसित कर रही है। उन्होंने मतदाताओं से पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की।

पत्रकार वार्ता में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड मणिकांत पाठक, कॉमरेड राजकुमार चौधरी, कॉमरेड अर्चना अपराजिता और कॉमरेड सरोज कुमार सुमन भी उपस्थित थे।

बिहार विधानसभा चुनाव -2025

राज्य और देश के मौजूदा हालात में क्रांतिकारी वामपंथ के रास्ते आगे बढ़ रही है एसयूसीआई (सी)

बिहार में विधानसभा के लिए दो चरणों में हो रहे चुनाव के लिए 6 और 11 नवम्बर को वोट डाले जायेंगे। लगभग 20 वर्षों तक सत्तासीन रही भाजपा-जदयू के नेतृत्व में एनडीए और कांग्रेस-राजद के नेतृत्व में 'इंडिया'-ये दोनों गठबंधन मुख्य रूप से इस चुनाव में प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं। इन दोनों गठबंधनों में शामिल पार्टियां अतीत की तरह झूठे वादे और अकूत रुपये लेकर इस चुनाव में उतर चुकी हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए तथा समता-स्वतंत्रता और भाईचारे की बुर्जुआ लोकतंत्र की शुरुआती जमाने की घोषणाएं आज महज पाठ्य-पुस्तकों में ही सिमटकर रह गयी हैं। जनता नहीं, बल्कि धनबल, प्रशासनिक बल, मीडिया बल और बाहुबल के साथ-साथ जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण का जोड़-तोड़ ही तय करता है कि चुनाव में किसकी जीत होगी।

20 वर्षों से भाजपा और जदयू के हाथों में बिहार की बागडोर है। विकास के ढोल पीटे जा रहे हैं। लेकिन बिहार की वास्तविक तस्वीर क्या है? यह आज भी सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार है। चरम बेरोजगारी की वजह से यहां के युवा काम की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। स्कूल-कॉलेजों में न तो पर्याप्त शिक्षक हैं, न जरूरी सुविधाएं हैं और न ही पढ़ाई का माहौल है। वहीं प्राइवेट स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। तभी तो आबादी का 32% हिस्सा स्कूल जा ही नहीं पाया। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ की भारी कमी है। वहां पर्याप्त जांच की व्यवस्था एवं बेड नहीं हैं। इसकी वजह से निजी अस्पतालों के महंगे इलाज से लोगों की कमर टूट रही है। किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। अफसरशाही बेलगाम है। लूट, हत्या, राहजनी और महिलाओं व बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आंकड़ों की बात करें, तो राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 से 2024 तक कुल अपराधों में 80.02% की वृद्धि हुई है। सरकार शराबबंदी का श्रेय तो ले रही है, जबकि शराब के अड्डे रोज पकड़े जा रहे हैं। सरकार के चहेते लोग ही शराब माफियाओं, भू-माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं।

कुछ फोरलेन, सिक्स लेन की सड़कों और कुछ फ्लाई ओवरों के बनने को ही विकास बताया जा रहा है। क्या नीतीश जी और मोदी जी बता सकते हैं कि इनके बनने से कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या इनके बनने से लोगों के आने-जाने का किराया कम हो गया? उल्टे इन 20 वर्षों में काफी मात्रा में किसानों की उपजाऊ जमीनें छीन ली गयीं, लाखों पेड़ काट डाले गये, जिनसे लाखों लोगों का गुजारा होता था? इसी बिहार में जहां एक करोड़ लोगों के पास रहने का अपना घर नहीं है, वहीं नीतीश जी ने विधानसभा में बेघरों को घर देने के सवाल पर कहा कि जमीन कहां से लायें। लेकिन उनकी सरकार बक्सर के चौसा में किसानों से 1064 एकड़ उपजाऊ जमीन बिना उनकी सहमति के जबरन अधिग्रहण करने पर आमादा है। विरोध करने पर किसानों को बर्बरता से पीटा गया। हाल ही में भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट बनाने के नाम पर अडानी को एक रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 1050 एकड़ जमीन तोहफे में दे दी गयी। इस जमीन पर बेहतरीन 10 लाख तो केवल आम के पेड़ हैं, जो काटे जायेंगे। इससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होगा और उन पर जिनकी रोजी-रोटी चलती थी, वह भी चली जायेगी। लेकिन राज्य में बंद पड़े दर्जनों चीनी मिल और अन्य कारखाने नहीं खुल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कई बार करोड़ों रुपये खर्च कर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट बुलाकर उद्योगपतियों को बिहार में निवेश करने का न्योता दिया। उन्हें मुफ्त में जमीन देने, बिना ब्याज का ऋण देने तक का प्रलोभन दिया गया। फिर भी उद्योग नहीं लग रहे हैं। क्या पूंजीपति-उद्योगपति जन कल्याण के लिए उद्योग लगाते हैं? नहीं, वे उद्योग लगाते हैं अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए। मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था ने दुनियाभर में बेरोजगारों-अर्द्ध बेरोजगारों की विशाल फौज खड़ी कर दी है। जीवनोपयोगी सामानों की जरूरत के बावजूद उनको खरीदने के लिए लोगों के पास क्रय-शक्ति नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में बाजार संकट है। अपने देश में भी बाजार संकट है। दरअसल यह पूंजीवाद का संकट है। यही वजह है कि जब एक-दो उद्योग लग भी रहे हैं, तो कई बंद हो जा रहे हैं।

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेन्द्र मोदी ने विदेशों में जमा काला धन वापस लाकर हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपये जमा करने, किसानों की आय दुगुनी करने और हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन उनके सारे वादे जुमले बनकर रह गये। महंगाई चरम पर है। देश की हालत यह हो गयी है कि वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भूख के मामले में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। बोआई के समय ऊंचे दाम पर किसानों को खाद-बीज खरीदना पड़ता है। कभी बाढ़, तो कभी सुखाड़ से उनकी फसल बर्बाद हो जाया करती है। घाटे की खेती की वजह से किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार केवल 2023 में कृषि क्षेत्र में 10786 आत्महत्याएं हुईं हैं। देश की सार्वजनिक सम्पत्तियों को निजी मालिकों के हवाले किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में रिक्त पड़े लाखों पद समाप्त कर दिये गये हैं। मजदूर-कर्मचारियों की बहाली यानी नियुक्ति ठेके पर हो रही है, जहां न तो काम के घंटे निश्चित हैं और न ही वेतन। शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, केन्द्रीकरण और साम्प्रदायीकरण करने वाली नयी शिक्षा नीति-2020 धड़ल्ले से लागू की जा रही है। कुल मिलाकर गरीब और गरीब हो रहे हैं तथा अमीरों की धन-दौलत में लगातार इजाफा जारी है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। अडानी, अंबानी सहित पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुनाफे का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है।

देखा जा रहा है कि भाजपा-नीत केन्द्र सरकार की किसान-मजदूर विरोधी व जनविरोधी नीतियों व कदमों के खिलाफ देश में यहां-वहां विरोध की आवाज उठ रही है। समाज के सचेत बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील व इन्साफ पसंद पत्रकारों-कलाकारों द्वारा सरकार के विरोध में मुखर होने पर उनके खिलाफ दमानात्मक कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। साथ ही गरीबों और शोषितों के बीच धर्मांधता और जातीय उन्माद पैदाकर दंगे भड़काने की कोशिश जारी है। हैरत की बात तो यह है कि देश में आजादी की लड़ाई का विरोध करने वाले, अंग्रेजों को माफीनामा देने वाले और क्रांतिकारियों-स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाने में मदद करने वाले आरएसएस-हिन्दू महासभा के नेताओं के सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा के नेता-मंत्री ही आज देशप्रेम का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। देश में अल्पसंख्यकों, दलितों और गरीबों के खिलाफ एक तरह से जिहाद छेड़ दिया गया है। हिन्दू राष्ट्र की विचारधारा को फैलाने और उसे पाठ्य-पुस्तकों सहित शासन-प्रशासन में लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखने की जरूरत यह है कि क्या हिन्दुत्व और सनातन की बात करने वाले भाजपा के नेता रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि हिन्दू धर्म के प्रातः स्मरणीय चरित्रों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं या कि धर्म को अपने निजी स्वार्थ में वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं?

ऐसे में जब जरूरत इस बात की थी कि तमाम वामपंथी पार्टियां एक साथ मिलकर केन्द्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जुझारू आन्दोलन गठित करते हुए वाम विकल्प तैयार करतीं, लेकिन सीपीआई, सीपीआई (एम) और सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन महज कुछ सीटों के लिए कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील व जनवादी बताकर कांग्रेस व जात-पात के आधार पर चलने वाली पार्टियों के गठजोड़ का हिस्सा बनी हुई हैं। सर्वविदित है कि इसी कांग्रेस ने आजादी के बाद से अपने लम्बे शासन में पूंजीवाद के समग्र हित में फासीवाद का आधार तैयार किया। गौरतलब है कि फासीवाद कोई पार्टी नहीं लाती है, बल्कि फासीवाद पूंजीवाद के ही मरणासन्न दौर का एक रूप है। जो भी पार्टी पूंजीवाद की सेवा करती है, उसे फासीवाद को लागू करना होता है। दूसरे विश्वयुद्ध में फासीवाद की सामरिक पराजय के बाद जब लोगों को लगने लगा था कि अब दुनिया से फासीवाद का खतरा टल गया है, तब विशिष्ट मार्क्सवादी दार्शनिक व चिंतक शिवदास घोष ने कहा था कि आज विकसित और पिछड़े तमाम पूंजीवादी देश फासीवाद की विशेषताएं लिये हुए हैं। यही वजह है कि न केवल राष्ट्रीय बुर्जुआ पार्टियां, बल्कि क्षेत्रीय बुर्जुआ पार्टियां भी पूंजीवाद के हित में फासीवादी आचरण किया करती हैं। इस सच्चाई से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कांग्रेस ने भी आरएसएस-भाजपा की तरह ही देश में साम्प्रदायिक दंगे करवाये हैं। भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा और दिल्ली का सिख-विरोधी दंगा इसकी बानगी है। देश की सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने न केवल आपातकाल लगाया, बल्कि टाडा, मिसा, एस्मा, अफस्पा, यूएपीए जैसे काले कानून भी बनाये और लागू किये।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा समाज वर्गों में बंटा हुआ है। एक ओर शोषक पूंजीपति वर्ग है, तो दूसरी ओर करोड़ों शोषित-पीड़ित लोग हैं और दोनों का स्वार्थ एक नहीं हो सकता। पूंजीपतियों का स्वार्थ है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का शोषण किया जाये, जबकि आम लोगों का एकमात्र स्वार्थ यह है कि उन्हें इस शोषण और जुल्मो-सितम से कैसे निजात मिले। नतीजतन, राजनीति भी दो तरह की है। एक है पूंजीवादी शोषण की हिफाजत करने वाली राजनीति, तो दूसरी है पूंजीवाद को उखाड़ फेंककर शोषण से निजात पाने की राजनीति। दूसरी पार्टियों के नाम, झंडे और नारे में चाहे जो भी अंतर क्यों न रहे, वे सभी पूंजीवाद की रक्षक हैं। एकमात्र हमारी पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ही महान मार्क्सवाद-लेनिनवाद और शिवदास घोष विचार के आधार पर बिहार सहित विभिन्न राज्यों में शोषित लोगों के वर्ग संघर्ष और जनवादी आन्दोलनों को गठित व विकसित कर रही है। हमारा उद्देश्य क्रांति के जरिये शोषण और दमन पर आधारित मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था और उसके राजनीतिक ढांचे को उखाड़ फेंककर समाजवाद कायम करना है। यह काम चुनावों के जरिये संभव नहीं है। जनवादी जन आन्दोलनों के जरिये हम न केवल मांगें हासिल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक और संगठित करने का प्रयास भी करते हैं। गौरतलब है कि 1967 में पश्चिम बंगाल में पहली गैर कांग्रेसी संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी। हमारी पार्टी उस सरकार का बाहर से समर्थन करना चाहती थी। अन्य वामपंथी दलों ने कहा कि आपकी पार्टी जिम्मेवारी लेने से भाग रही है। तब पार्टी के संस्थापक कॉमरेड शिवदास घोष के निर्देश पर हमारी पार्टी सरकार में इस शर्त पर शामिल हुई कि जनता के जायज जनवादी आन्दोलनों में पुलिस हस्तक्षेप नहीं होगा। पार्टी के नेता सुबोध बनर्जी श्रम मंत्री बने। फिर तो पूरे बंगाल में जन आन्दोलनों का सैलाब आ गया। वामपंथी राजनीति, दक्षिणपंथी राजनीति से कैसे अलग है, इसकी झलक उस समय लोगों को देखने को मिली। लेकिन पूंजीपतियों के तिकड़म से केन्द्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संयुक्त मोर्चा सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन के बाद हुए चुनाव में वामपंथी राजनीति को लोगों का अपार समर्थन मिला। बाद में सीपीआई(एम) नेतृत्व द्वारा इस नीति का परित्याग कर दिये जाने के कारण वामपंथ कलंकित हुआ।

बिहार विधानसभा के इस चुनाव में भी मार्क्सवाद और क्रांतिकारी वामपंथ की विचारधारा

(शेष पृष्ठ 8 पर)

जहरीले कफ सीरप से मासूम बच्चों की मौतों के दोषियों को कठोर दंड देने की
एसयूसीआई (सी) ने की मांग

ग्वालियर (म.प्र.) : 11 अक्तूबर को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने मिलावटी और अमानक दवाओं के कारण बच्चों की मौत के दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देने की मांग की।

छिंदवाड़ा में जहरीले व अमानक खांसी सिरप पीने से हुई मासूम बच्चों की मौत की घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यह अत्यंत दुखद एवं गंभीर मामला है। सरकारी तंत्र इस षड्यंत्र में लिप्त भ्रष्टाचारी नेताओं-अफसरों को बचाने में लिप्त है। इसका विरोध करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की ग्वालियर इकाई ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर पार्टी की जिला सचिव कॉमरेड रचना अग्रवाल ने कहा कि बच्चों की ये दर्दनाक मौतें सिर्फ किसी लापरवाही का नतीजा नहीं हैं, बल्कि मासूमों की ये लाशें प्रदेश के भ्रष्ट सरकारी तंत्र का जीता-जागता सबूत हैं। यह कोई महज एक हादसा नहीं है, बल्कि हत्याकांड है। मुनाफाखोरी के इस दौर में तमाम सरकारी व प्राइवेट दवा कंपनियां अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं। इसी का नतीजा

है कि वे अमानक व नकली दवाइयां बाजार में लाकर अपनी तिजोरिया भर रही हैं। यह षड्यंत्र सरकारी तंत्र से छिपा हुआ नहीं है। जो दवाइयां अन्य राज्यों में बैन कर दी गई हों, वे मध्य प्रदेश के बाजार में होने का मतलब ही है कि यह सब प्रशासन और सरकार की मिलीभगत का नतीजा है। मासूमों की ये मौतें सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती हैं और पूंजीपतियों के सामने उसकी नतमस्तकता का जीता-जागता सबूत है। उन्होंने इस हत्याकांड के दोषियों, इसमें संलिप्त मंत्रियों और अधिकारियों के इस्तीफे लेने और उदाहरणमूलक सजा देने तथा नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की। उन्होंने सरकार को भी कहा कि वह संवेदनशील बने और इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी ले।

राजनीतिक शिक्षण शिविर आयोजित

इलाहाबाद (उ.प्र.) : 11 अक्तूबर को एआईडीएसओ, इलाहाबाद इकाई की तरफ से एक राजनैतिक शिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें पहला विषय था क्या क्रान्तिकारियों और मनीषीयों का जीवन-संघर्ष जानना समाज की बेहतरी के लिए जरूरी है। दूसरा था क्रान्तिकारी जीवन क्या है? क्रान्तिकारी जीवन ही सम्मानजनक जीवन कैसे है? शिक्षण शिविर की शुरुआत में दिवाकर, अंकुल व जैनम ने कविता और बितिका पाल ने गीत प्रस्तुत किया। शिविर में सम्मिलित ज्यादातर छात्र-छात्राओं ने अपनी बातें रखीं।

उसके बाद शिक्षण शिविर के मुख्य वक्ता एआईडीएसओ की केन्द्रीय काउन्सिल के अध्यक्ष कॉमरेड सौरभ घोष ने इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

शिक्षण शिविर में केन्द्रीय काउन्सिल के कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड मिथिलेश भक्त, विकास कुमार मौर्य, सूर्योदय, आकाश शर्मा, अनुजा, दिव्या, बितिका, संगीता, निधि शर्मा, जैनम, राधाबल्लभ, हिमांशु मौर्य, अनुभव, दिवाकर, अंकुल, संदीप, अमित, गौरव, अबुकेस आदि उपस्थित रहे।

डीयू कुलपति के अलोकतांत्रिक आदेश पर वामपंथी छात्र संगठनों ने जताया रोष

नई दिल्ली : 6 अक्टूबर को एआईडीएसओ ने अन्य वामपंथी संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विज्ञान संकाय के गेट नंबर 4 पर डीयू के कुलपति के उस आदेश के खिलाफ रोष जताया, जिसमें उन्होंने छात्रों के जायज विरोध प्रदर्शनों और असहमति की आवाज को अर्बन नक्सली साजिश करार दिया था।

हालांकि डीयू प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले से ही अपने सुरक्षा गार्डों और दिल्ली पुलिस को तैनात कर रखा था। प्रदर्शनकारियों को घसीटकर वहां से खदेड़ा गया। छात्रों द्वारा नारे लगाये गए और अंतत: भारी पुलिस प्रतिबंधों के बीच डीयू के विज्ञान संकाय के गेट नंबर 3 पर एक संक्षिप्त जनसभा आयोजित की गई।

एआईडीएसओ की डीयू इकाई की प्रभारी कॉमरेड अद्रिका ने आम छात्रों और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए परिसर में लोकतांत्रिक स्थान को रोकने में डीयू के कुलपति की भूमिका की निंदा की और असहमति की जायज आवाजों को दबाने के ऐसे सभी प्रयासों को विफल करने के लिए वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों से एक बड़ी एकता की अपील की।

एआईडीवाईओ ने मनाया विरोध दिवस

13 अक्तूबर को अखिल भारतीय विरोध दिवस पर एआईडीवाईओ, सूरत जिला कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन और सूरत, कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को आवेदन पत्र दिया गया

एआईडीवाईओ, चंडीगढ़ व पंजाब इकाई ने भी चंडीगढ़ के मौली जागरण में विरोध प्रदर्शन

किया। सभा को राज्य संयोजक कॉमरेड अमित0कुमार और कॉमरेड अखिलेश कुमार ने संबोधित किया।

फिलिस्तीन में डोनाल्ड ट्रम्प की 'शांति योजना' के खिलाफ
7 अक्तूबर निंदा दिवस के रूप में मनाया

नई दिल्ली : 'शांति योजना' के नाम पर गजा को उपनिवेश बनाने की अमेरिकी-इजराइली योजना की निंदा करते हुए और गजा की नाकेबंदी हटाने तथा फिलिस्तीनियों का उनकी संप्रभुता बहाल करने की मांग करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने 7 अक्टूबर को अखिल भारतीय निंदा दिवस के रूप में मनाया। इस दिन देशभर में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किये गए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पुतले फूंके गए।

गजा में हुए नरसंहार के विरोध में 7 अक्तूबर को पंजाब के फिरोजपुर जिले के गट्टी राजो के गांव में एआईएमएसएस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। एआईएमएसएस, पंजाब की सदस्य सरबजीत कौर, पूजा, रानी और पूनम ने इस कार्यक्रम के आयोजन की मुख्य भूमिका अदा की।

पिलानी (राजस्थान) में विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन

चेन्नई में विरोध प्रदर्शन

सोनीपत (हरियाणा) में जंगखोर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का पुतला फूंकते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)कार्यकर्ता

कोलकाता में अमेरिकी दूतावास पर विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन

दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन

भिवानी (हरियाणा) में दिनोद गेट पर विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन

बहादुरगढ़ (हरियाणा) में विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन

झज्जर (हरियाणा) में पुतला दहन

नारनौल (हरियाणा) में साम्राज्यवाद-विरोधी प्रदर्शन

ढांड, जिला कैथल (हरियाणा) के पंचमुखी चौक पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का पुतला फूंकते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के सदस्य

शहीद भगत सिंह श्रद्धांजलि सभा आयोजित

शिमला (हिमाचल प्रदेश) : महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की 118वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5 अक्तूबर को यहां के लोवर रिड़का में क्रांतिकारी युवा संगठन एआईडीवाईओ की तरफ से श्रद्धांजलि सभा और पर्चा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सभा को संगठन के सदस्य कॉमरेड अंकू और कॉमरेड अखिलेश कुमार ने संबोधित किया।

इस दौरान स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़ कर

हिस्सा लिया और भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

भोपाल : बिजली उपभोक्ताओं की जनसभा को संबोधित करती हुईं श्रीमती रचना अग्रवाल

भोपाल, (मध्य प्रदेश) : मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के बैनर तले 6 अक्टूबर को यहां आयोजित जनसभा में प्रदेश के लगभग 30 जिलों से आये बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली बिलों में धांधली और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की नीति के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इससे पहले पिछले तीन-चार महीने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ उपभोक्ताओं द्वारा जोरदार अभियान चलाया गया।

इस जनसभा की अध्यक्षता राकेश मिश्रा व नरेंद्र सिंह भदौरिया ने की। मुख्य वक्ता मंच की प्रदेश संयोजक रचना अग्रवाल और लोकेश शर्मा रहे।

सभा में सर्वसम्मति से पारित मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में कहा गया कि बिजली एक आवश्यक सेवा क्षेत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका निजीकरण किया जा रहा है। प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, गुना, सीहोर, विदिशा, सतना, इंदौर, देवास, दमोह, जबलपुर आदि विभिन्न जिलों में उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद 5 हजार से लेकर 2 लाख 68 हजार रुपये तक के अविश्वसनीय बिजली बिल मिल रहे हैं। कई उपभोक्ता तो गहने-बर्तन बेचकर बिल भरने को मजबूर हैं। स्मार्ट मीटर के जरिये अत्यधिक बिल जनरेट किये जा रहे हैं और महीने में दो-तीन बार बिल भेजे जा रहे हैं। बिल की हार्ड कॉपी नहीं दी जा रही है। मीटर खराब होने पर उपभोक्ता से फिर से 25 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं और गरीब उपभोक्ताओं पर अनुचित दंड व जुर्माना लगाया जा रहा है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सहमति के बिना कई जगह पुलिस की मदद से जबरन मीटर लगाये हैं, जो न केवल उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक अन्याय भी है।

मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन ने सरकार से निम्न प्रमुख मांगें रखीं :

1. प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की नीति तत्काल रद्द की जाए।
2. पहले से लगाए गए स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने डिजिटल मीटर पुन: लगाए जाएं
3. रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर (RDS) स्कीम को निरस्त किया जाए।
4. बिजली बिल हार्ड कॉपी और पोस्टपेड रूप में ही जारी हों।
5. उपभोक्ताओं पर दर्ज एफआईआर और केस तुरंत वापस लिये जाएं।
6. अत्यधिक बढ़े हुए बिजली बिल रद्द किये जाएं।
7. बिजली के रेट कमकर गरीबों को राहत दी जाए।
8. सभी उपभोक्ताओं को 250 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क दी जाए।
9. बिजली क्षेत्र का निजीकरण पूरी तरह रद्द किया जाए।

सभा के अंत में यह निर्णय लिया गया कि अगर सरकार ने इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो एसोसिएशन पूरे प्रदेश में बिजली उपभोक्ता आंदोलन तेज करेगी।

इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आये उपभोक्ता प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान और गृहिणियों ने भी अपनी समस्याएं साझा कीं।

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कई जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुंशी प्रेमचंद पर संगोष्ठी आयोजित

रेवाड़ी (हरियाणा): प्रगतिशील साहित्यिक सांस्कृतिक मंच, रेवाड़ी के तत्वावधान में नवजागरण काल के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की 89वीं मृत्यु वार्षिकी पर 8 अक्टूबर को यहां विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजकुमार जलवा ने की। मंच संयोजक रिटायर्ड मुख्याध्यापक हरिओम सिंह व रिटायर्ड ईओ मनोज यादव ने गोष्ठी का संचालन किया।

सभी वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान संदर्भ में जहां जातपात, अंधता, धार्मिक कट्टरता और अवैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुंशी प्रेमचंद ने जातपात और शोषण-जुल्म के खिलाफ कलम उठाकर जन चेतना पैदा की।

विचार गोष्ठी में कई प्रबुद्धजनों ने भाग लिया और अपने-अपने विचार प्रकट किये।

जलभराव, बाढ़ की रोकथाम और बरसाती पानी की निकासी की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

बवानी खेड़ा, भिवानी (हरियाणा): बाढ़ व जलभराव से बचाव, बरसाती पानी की निकासी और बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की मांग को लेकर 13 अक्तूबर को बवानी खेड़ा तहसील में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन व किसान जन संघर्ष कमेटी, बवानी खेड़ा ने प्रदर्शन किया और तहसीलदार, बवानी खेड़ा को अपनी 7-सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में मांग की गई : 1. खेतों से पानी निकासी जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर की जाए ताकि रबी की फसल की बोआई हो सके। बाढ़ की रोकथाम के लिए नहरीकरण एक प्रभावी उपाय के रूप में विश्वभर में लोकप्रिय है। अत: राज्य में उचित योजना बनाकर नहर व ड्रेन संरचना का विस्तार किया जाना चाहिए। जल निकासी के प्राकृतिक मार्गों को बनाए रखते हुए जल निकासी की सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए। ड्रेनों में पानी छोड़ने की मात्रा का ध्यान रखा जाए, इनका लेवल ठीक कर जल प्रवाह सुनिश्चित किया जाए, इनकी गाद निकालने के लिए इनकी साफ-सफाई और छंटाई की जाए, चौड़ाई बढ़ायी जाए और डोल (तटबंध) मजबूत किये जाएं।

2. अतिवृष्टि, बाढ़ व जलभराव से हुई तबाही को केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और नुकसान की शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति करे। बाढ़ से बर्बाद हुई फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 70000 रुपये मुआवजा दिया जाए, इसका 10% खेतमजदूरों को दिया जाए और श्रमिक परिवारों को तत्काल प्रति परिवार 1 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाए। फसल खराब होने के सदमे से मरे किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। कृषि औजारों की पूरी क्षतिपूर्ति की जाए। पूरी तरह ध्वस्त मकान का 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। मकान में दरार आने से हुए नुकसान के 3 लाख रुपये, भैंस, गाय व भेड़-बकरी मरने से हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाए। धान व कपास, बाजरा में रोग और वर्षा से पैदावार में आयी गिरावट का उसी अनुपात में मुआवजा दिया जाए।

4. आपदा प्रबंधन की दोषपूर्ण मुआवजा/राहत नीति में बदलाव कर जितना नुकसान हो उतना मुआवजा के आधार पर मुआवजा/राहत नीति बनायी जाए। मुआवजा प्रक्रिया समयबद्ध हो।

5. बाढ़ पीड़ितों के ऋण और छात्र-छात्राओं की फीस माफ की जाए और किसानों को अगली फसल के लिए बिना ब्याज ऋण व आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। नि:शुल्क बीज और उर्वरक उपलब्ध कराये जाएं।

6. स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किये जायें।

7. ग्रामीण गरीबों व खेत मजदूरों के लिए वैकल्पिक/अतिरिक्त काम की व्यवस्था की जाए।

इस मौके पर किसान संगठन के जिला प्रधान कॉमरेड रोहतास सिंह सैनी और जिला सचिव कॉमरेड बस्तीराम एडवोकेट ने बताया कि भिवानी जिले में जलभराव व बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। पिछले 2-3 महीनों से खेतों में बरसाती पानी भरा हुआ है। किसानों को चिंता सता रही है कि अगर पानी नहीं निकला, तो रबी की फसल की भी बोआई नहीं हो पायेगी। लेकिन सरकार आंखें बंद किये हुए है।

किसान जन संघर्ष कमेटी के सदस्य सुखविंदर पपोसा ने बताया कि हांसी से तोशाम सड़क के नीचे से होकर दो ड्रेनें गुजरती हैं। एक सामण भिवानी ड्रेन, जो धनाना से आगे चलती है और दूसरी ड्रेन, जो सोरखी गढ़ी कुंगड खेड़ी से मिलकर बनती है। ये दोनों ड्रेनें चौधरीवास गांव में जाकर एक हो जाती हैं। इन्हें आगे बढ़ाकर राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र तक ले जाया जाए या अतिरिक्त पानी ट्यूबवैलों के जरिये सिपेज किया जाए ताकि यहां के हर किसान को जल भराव से मुक्ति मिले। इनके अलावा सतवीर सिंह नेहरा व महेंद्र सिंह कटारिया ने भी अपने विचार रखे।

प्रदर्शन में कासिम चौहान, सुशील सिवाना, गुलाब सिंह बोहल, ओम प्रकाश, रामपाल बवानी, बहादुर अलखपुरा, जगबीर, सुरेश, विनोद, उम्मेद, संजय, संदीप, अजय, विनोद, अनिल, पतराम, रामपाल आदि मौजूद रहे।

एनआरएलएम (बिहान) सीआरपी (सक्रिय महिला) संघ ने सौंपा ज्ञापन

दुर्ग (छत्तीसगढ़): 6 अक्टूबर को यहां एनआरएलएम (बिहान) सीआरपी (सक्रिय महिला) संघ ने एक दिवसीय धरना दिया और कलेक्टर के जरिये मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव, पंचायत सचिव और बिहान संचालक को ज्ञापन भेजा गया। इसके पश्चात जनपद अध्यक्ष तुलेश्वरी साहू और जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे से मिलकर अपनी समस्याएं रखी गयीं एवं चर्चा के पश्चात ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन में मांग की गई कि 1910 रुपये प्रतिमाह मानदेय बहुत ही कम है, इसे जीनेलायक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। मानदेय 'छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम' के अनुसार दिया जाए। कई वर्षों से कार्यरत सक्रिय महिलाओं को जबरदस्ती कार्य से हटाया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इसे बंद किया जाए। लखपति दीदी का ऑनलाइन कार्य का पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। सभी कैडरों को मोबाइल, नेट खर्च, दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता दिये जाएं। मानदेय प्रतिमाह दिया जाए। इसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए। नियुक्ति पत्र दिया जाए और नियमित किया जाए।

PRGI Regn. No. 43022

आरएसएस-हिन्दू महासभा ने किया था आजादी आन्दोलन का विरोध

(पृष्ठ 1 का शेष)

चार मुद्दे

तो, यहां चार मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दो मुद्दे उठाए हैं। एक, राष्ट्र निर्माण में आरएसएस की भूमिका की प्रशंसा करना और दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्र की एक शख्सियत के रूप में भूमिका की प्रशंसा करना। तीसरा देश के विभाजन के बारे में है, जिसे स्पष्ट रूप से आरएसएस-भाजपा के निर्देश पर एनसीईआरटी ने उठाया है। और चौथा, हिंदू महासभा के संस्थापक और धर्म पर आधारित द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के पहले प्रस्तावक वी.डी. सावरकर को न केवल नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, भगत सिंह और गांधीजी के बराबर, बल्कि उनसे भी ऊपर स्थान देना। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा है कि इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि प्रामाणिक इतिहास से नहीं होती है। बल्कि, इतिहास इसके ठीक विपरीत की पुष्टि करता है। आइए, इन मुद्दों पर विचार करें।

आरएसएस-हिंदू महासभा ने आजादी आंदोलन को बताया था प्रतिक्रियावादी

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ''आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, पूरी जवानी खपा दी, जेलों में जीवन बिताया, फांसी के फंदे पर झूल गये, लेकिन निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि मां भारती के सम्मान के लिए, कोटि-कोटि लोगों की आजादी के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, और उनके दिलों में एक ही भावना थी—गरिमा। ... क्यों? एक स्वतंत्र भारत के लिए।'' इसका मतलब है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महिमा को पहचानते हैं और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अमृतकाल में प्रवेश की घोषणा करके उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ''सभी स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय सेवा की इस सदी लंबी यात्रा में योगदान दिया...'' वे स्वयं भी एक स्वयंसेवक थे।

सबसे पहली बात तो यह है कि आरएसएस और हिंदू महासभा (भाजपा की पूर्ववर्ती) दोनों की स्थापना ऐसे समय में हुई थी, जब देश ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन के ज्वार में था। लेकिन आरएसएस-हिंदू महासभा के विचारकों ने कभी भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन नहीं किया। जैसा कि इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र के छात्र जानते हैं कि राष्ट्र एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में लोगों का ऐतिहासिक रूप से गठित, स्थिर समुदाय होता है, जो चार प्रमुख साझी विशेषताओं: एक साझी भाषा, एक साझा क्षेत्र, एक साझा आर्थिक जीवन और एक साझी मनोवैज्ञानिक बनावट, जो राष्ट्रीय संस्कृति की साझी विशिष्टताओं में प्रकट होती है, के आधार पर बनता है। राष्ट्र एक ऐतिहासिक श्रेणी है, जो उभरते हुए पूंजीवाद के निश्चित युग से संबंधित है। पूंजीवाद के आगमन से पहले कोई राष्ट्र मौजूद नहीं था। आधुनिक राष्ट्रों के उदय पर आधारित एक वैचारिक पंथ के रूप में राष्ट्रवाद है।

लेकिन आरएसएस के विचारक एम.एस. गोलवलकर ने इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विरोध किया। उनके अनुसार: ''प्रादेशिक स्वतंत्रता और साझे खतरे के सिद्धांतों, जो हमारी राष्ट्रकल्पना के आधार बने, ने हमें अपने भावात्मक एवं प्रेरणादायी सच्चे हिंदू-राष्ट्र के भाव से वंचित कर दिया और अनेकों स्वातंत्र्य आंदोलनों को वस्तुत: अंग्रेज-विरोधी आंदोलन बना दिया। अंग्रेजों का विरोध ही देशभक्ति और राष्ट्रीयता का समानार्थ माना गया। हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन की संपूर्ण गतिविधि पर उसके नेताओं एवं सामान्य समाज पर इस प्रतिगामी दृष्टिकोण के विनाशकारी प्रभाव हुए। (गोलवलकर, विचार नवनीत) ... वे ही राष्ट्रवादी देशभक्त हैं, जो हिंदू जाति और राष्ट्र को गौरवान्वित करने की आकांक्षा को अपने दिल में रखकर, गतिविधि के लिए प्रेरित होते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। बाकी सभी राष्ट्रीय हित के लिए या तो देशद्रोही या दुश्मन हैं। (हम या हमारा राष्ट्रत्व परिभाषित)।'' आरएसएस के संस्थापक सदस्य के.बी. हेडगेवार ने ब्रिटिश शासकों द्वारा जेल भेजे गए स्वतंत्रता सेनानियों का निम्नलिखित भाषा में मजाक उड़ाया: ''कारागार में जाना ही कोई देशभक्ति नहीं है। ऐसी दिखाऊ देशभक्ति में बहना उचित नहीं है।'' (सी.पी. भिशिकर, संघ वृक्ष के बीज: डॉ. केशवराव हेडगेवार, सुरुचि, 1994, पृ. 21)। तो, आरएसएस के संस्थापकों के अनुसार, ब्रिटिश-विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन ''राष्ट्रवाद'' या ''देशभक्ति'' से प्रेरित नहीं था? क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सूर्य सेन और यहां तक कि गांधीजी से लेकर सभी पूज्य राष्ट्रीय नेता और शहीद, साथ ही वे जोशोखरोश से भरे हुए युवा, जिन्होंने गोलियां झेलीं, फांसी को गले लगाया और अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए पारंपरिक जीवन के तथाकथित ऐशो-आराम और सुरक्षा को ठुकरा दिया, क्या वे सभी देशद्रोही और सतही शहीद थे? यह हास्यास्पदता की पराकाष्ठा है! तथ्य यह है कि ब्रिटिश भारत में, निश्चित सामाजिक-ऐतिहासिक कारणों से, अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग-अलग मनोवैज्ञानिक मानसिक बनावट रखने वाले विभिन्न समुदाय अस्तित्व में थे। इसके अलावा, चूंकि महत्वाकांक्षी भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग ने मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने प्रमुख समझौतावादी राजनीतिक धारा का समर्थन किया, ने अपने वर्ग हित में उस आंदोलन में हिंदू धार्मिक विचारों का घालमेल करने की कोशिश की। इसलिए हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हिंदू धर्म-उन्मुखी रहा है, जिसका आरएसएस-भाजपा आज हिंदू राष्ट्र की वकालत करने के लिए फायदा उठा रहे हैं।

आरएसएस-हिंदू महासभा ने नहीं की आजादी आन्दोलन में शिरकत

यह भी तथ्य है कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने न केवल आजादी आंदोलन का विरोध किया, बल्कि अंग्रेजों के प्रति अपने समर्थन और वफादारी का ऐलान किया। उन्होंने 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' का विरोध किया। आरएसएस ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ-साथ 1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन में शिरकत नहीं की, क्योंकि उन्होंने इन आंदोलनों को अपने उद्देश्यों से मेल खाते हुए नहीं देखा। हिंदू महासभा ने भी ऐसा ही किया। गोलवलकर यह भी चाहते थे कि भारत के लोग अमानवीय ब्रिटिश शासकों के क्रूर और दमनकारी कानूनों का सम्मान करें! ब्रिटिश इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, ''संघ ने पूरी ईमानदारी से खुद को कानून के दायरे में रखा है और विशेष रूप से, अगस्त 1942 में भड़के उपद्रवों में भाग लेने से परहेज किया है''। (एंडर्सन, वाल्टर के और दामले, श्रीधर डी 'द ब्रदरहुड इन सैफ्रॉन: द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड हिंदू रिवाइवलिज्म', वेस्टव्यू प्रेस, 1987, पृ. 44, में से उद्धृत) हैरानी की बात है कि गोलवलकर ने स्वीकार किया कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति इस तरह का नकारात्मक रवैया आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ भी ठीक नहीं रहा। (एम.एस. गोलवलकर, ''श्री गुरुजी समग्र दर्शन'' हिंदी में गोलवलकर संकलित रचनाएं, खंड IV, भारतीय विचार साधना, नागपुर, पृ. 40)

अंग्रेज शासकों के साथ उत्तरदायी सहयोग

दूसरी ओर, 1942 में कानपुर में हिंदू महासभा के 24वें सत्र को संबोधित करते हुए वी.डी. सावरकर ने शासकों का सहयोग करने की हिंदू महासभा की रणनीति को निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया था: ''हिंदू महासभा मानती है कि सभी व्यावहारिक राजनीति का मार्गदर्शक सिद्धांत उत्तरदायी सहयोग (Responsive Co-operation) की नीति है और इसके आधार पर यह मानती है कि वे सभी हिंदू संगठनवादी, जो पार्षदों, मंत्रियों, विधायकों के रूप में काम कर रहे हैं और किसी भी नगरपालिका या किसी सार्वजनिक निकाय का संचालन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सरकार की उन शक्तियों का उपयोग हिंदुओं के वैध हितों की रक्षा करना और यहां तक कि उन्हें बढ़ावा देना है, बिना किसी के वैध हितों का अतिक्रमण किये, वे हमारे राष्ट्र को अत्यधिक देशभक्तिपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं... 'उत्तरदायी सहयोग' की नीति, जो बिना शर्त सहयोग से लेकर सक्रिय और यहां तक कि सशस्त्र प्रतिरोध तक की देशभक्तिपूर्ण गतिविधियों के पूरे विस्तार को कवर करती है, वह समय की आवश्यकताओं, हमारे निपटान में संसाधनों और हमारे राष्ट्रीय हित के निर्देशों के अनुसार खुद को ढालती रहेगी।'' (वी.डी. सावरकर, 'समग्र सावरकर वांग्मय: हिंदू राष्ट्र दर्शन', खंड 6, महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदू सभा, पूना, 1963, पृ. 474 में उद्धृत)।

ब्रिटिश आकाओं के साथ 'उत्तरदायी सहयोग' केवल एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं थी। हिंदू महासभा ने जल्द ही मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ करके इसे मूर्त रूप दिया, जिनके साथ उन्होंने 1942 में बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत (नेफा) में गठबंधन सरकारें चलाईं। इसके अलावा, जब नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अपनी आजाद हिन्द फौज (आईएनए) को आगे बढ़ाकर आजादी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, सावरकर, जैसा कि दस्तावेजों से स्पष्ट है, हिंदुओं के सैनिकीकरण के लिए परिपत्र जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''यह स्पष्ट रूप से सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज की प्रगति के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करने के लिए था।'' (द वीक 24-01-16)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की निंदनीय भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दिल से प्रशंसा की। लेकिन उन्हीं डॉ. मुखर्जी ने बंगाल गठबंधन सरकार में उप-मुख्यमंत्री के रूप में 26 जुलाई 1942 को एक पत्र के माध्यम से अपने ब्रिटिश आकाओं को आश्वासन दिया: ''अब मैं उस स्थिति का उल्लेख करूं, जो कांग्रेस द्वारा शुरू किये गए किसी भी व्यापक आंदोलन के परिणामस्वरूप प्रांत में बन सकती है। जो कोई भी युद्ध के दौरान जनभावना को भड़काने की योजना बनाता है, जिसका परिणाम आंतरिक अशांति या असुरक्षा हो , उसका उस समय कार्य कर रही किसी भी सरकार द्वारा विरोध किया जाना चाहिए।'' (मुखर्जी, श्यामा प्रसाद, 'लीव्स फ्रॉम ए डायरी', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 179)। श्यामा प्रसाद ने बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को स्थिति से निपटने के लिए उठाये जाने वाले कदमों की मद-वार सलाह भी दी। ''सवाल यह है कि बंगाल में इस आंदोलन (भारत छोड़ो) का मुकाबला कैसे किया जाए? प्रांत का प्रशासन इस तरह से चलाया जाना चाहिए कि कांग्रेस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, यह आंदोलन प्रांत में जड़ न जमा पाये... हमारे लिए, विशेष रूप से जिम्मेदार मंत्रियों के लिए, जनता को यह बताना संभव होना चाहिए कि जिस स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया है, वह पहले से ही लोगों के प्रतिनिधियों के पास है। कुछ क्षेत्रों में यह आपातकाल के दौरान सीमित हो सकता है। भारतीयों को अंग्रेजों पर भरोसा करना होगा, ब्रिटेन के लिए नहीं, न ही किसी ऐसे लाभ के लिए, जो अंग्रेज प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि प्रांत की रक्षा और स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए।'' (ए.जी. नूरानी, 'द आरएसएस एंड द बीजेपी: ए डिवीजन ऑफ लेबर', लेफ्ट वर्ड बुक्स, पृ. 56-57 में उद्धृत)। हिंदू महासभा ने भी अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के जश्न का बहिष्कार किया था।

द्वि-राष्ट्र सिद्धांत और भारत का विभाजन

अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं—धर्म के आधार पर देश का विभाजन। हमने पहले ही ऊपर इतिहास के वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर राष्ट्र के उभरकर आने की शुरुआत को समझाया है।

लेकिन आरएसएस-हिंदू महासभा, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, राष्ट्र के गठन के इस ऐतिहासिक सत्य को नकारते हैं। जैसा कि गोलवलकर ने कहा था: ''हमें... राष्ट्रवाद को एक प्राचीन तथ्य के रूप में मानना चाहिए और हिंदुओं को भारत का राष्ट्रीय समाज मानना चाहिए।'' उनका मतलब था कि राष्ट्रवाद एक प्राचीन अवधारणा है और भारत में (ऋषियों और द्रष्टाओं के समय के भारत का अर्थ) हिंदुओं का एक राष्ट्रीय समाज था। वास्तव में अविश्वसनीय है! क्या कभी कोई ऐसा राष्ट्र रहा है, जो केवल धर्म पर आधारित हो? अगर ऐसा होता, तो ईसाई धर्म पर आधारित यूरोप में एक राष्ट्र होता, इस्लाम पर आधारित अरब राष्ट्रों में एक राष्ट्र होता या पूरे अमेरिकी महाद्वीप में एक अकेला राष्ट्र होता। इसलिए यह इतिहास को सरासर झूठलाना है कि भारत में पुरातन काल में भी राष्ट्र की अवधारणा थी।

अब हिंदू राष्ट्रत्व की यह अवधारणा कहां से उपजी? यह सावरकर थे, जिन्होंने 1923 में अपनी पुस्तक Essentials of Hindutva (हिंदुत्व के अनिवार्य तत्व) में, जो उन्होंने ए. मराठा के छद्म नाम से लिखी थी, हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद की एक रूपरेखा प्रदान की थी। बाद में, 1937 में अहमदाबाद में महासभा के 19वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की: ''हिन्दुस्तान में अगल-बगल रहने वाले दो विरोधी राष्ट्र हैं। कई अल्पज्ञानी राजनेता यह मानकर गंभीर गलती करते हैं कि भारत पहले से ही एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र में ढल चुका है या केवल ऐसा करने की इच्छा से इसे ढाला जा सकता है। ... फिलहाल हिन्दुस्तान को एक एकात्मक और सजातीय राष्ट्र नहीं माना जा सकता है। बल्कि इसके विपरीत, हिन्दुस्तान में मुख्य तौर पर दो राष्ट्र हैं—हिंदू और मुसलमान।'' (समग्र सावरकर वांग्मय)

(शेष पृष्ठ 7 पर)

आरएसएस-हिन्दू महासभा ने दिया ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का साथ

(पृष्ठ 6 का शेष)

इस प्रकार, दो राष्ट्रों का सिद्धांत, जिसे पहली बार 'Essentials of Hindutva' में प्रस्तावित किया गया था, को 1937 में हिंदू महासभा के एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था। 9 अक्टूबर 1939 को बॉम्बे में सावरकर से मुलाकात के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत के तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड जेटलैंड को अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ''स्थिति, उन्होंने [सावरकर] कहा, यह थी कि महामहिम की सरकार को अब हिंदुओं की ओर मुड़ना चाहिए और उनके समर्थन से काम करना चाहिए. .. हमारे हित अब एक ही थे और इसलिए हमें एक साथ काम करना चाहिए... हमारे हित इतने कसकर बंधे हुए हैं, आवश्यक बात यह है कि हिंदुत्व और ग्रेट ब्रिटेन दोस्त बनें और पुराना विरोध अब आवश्यक नहीं रहा।'' (द वीक-24-01-16)। तीन साल बाद जिन्ना के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर सत्र में इस अवधारणा को अपनाया। 15 अगस्त 1943 को सावरकर ने नागपुर में कहा, ''मेरा मिस्टर जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत से कोई झगड़ा नहीं है। हम, हिंदू, अपने आप में एक राष्ट्र हैं और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं।'' इस प्रकार, सावरकर ने हिंदू सांप्रदायिकता को धर्मनिष्ठ और हिंदू अलगाववाद को राष्ट्रवादी ठहराया और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके आधार पर देश का विभाजन हुआ। गोलवलकर ने हिंदू महासभा के भारत को 'हिंदू राष्ट्र' (हिंदू धर्मतांत्रिक राज्य) में बदलने के विचार का समर्थन किया। ''हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र या राष्ट्रीयता हैं... कोई भी समझदार व्यक्ति इस प्रस्ताव पर सवाल नहीं उठा सकता है कि हिंदू एक राष्ट्र हैं.. हमारा ''राष्ट्र'' का मतलब है, और बहुमत के सवाल से स्वतंत्र रूप से हमेशा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और कुछ नहीं।''(वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड)।

सावरकर की देशभक्ति (!)

सावरकर की ''देशभक्ति-राष्ट्रवाद'' की प्रकृति का उल्लेख करना आवश्यक है, खासकर निहित स्वार्थों के एक वर्ग द्वारा उन्हें नेताजी, भगत सिंह या गांधीजी से ऊपर रखने के प्रयास के संदर्भ में। आजादी आन्दोलन में भाग लेने के कारण अंडमान की सेलुलर जेल में रहते हुए सावरकर ने पाया कि आजादी आन्दोलन का समर्थन करने से उनकी रिहाई नहीं होगी। इसके बजाय, ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों के साथ तालमेल बिठाना, हिंदुत्व का विचित्र सिद्धांत पेश करना और प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी-पूंजीपतियों का सेवक बनना बेहतर था। इसलिए उन्होंने क्षमादान की मांग करते हुए ब्रिटिश सरकार को एक के बाद एक दया याचिकाएं भेजनी शुरू कर दीं।

उन्होंने ब्रिटिश शासकों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं ''संवैधानिक प्रगति का सबसे कट्टर समर्थक हूं और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी उस प्रगति की सबसे प्रमुख शर्त है'' और ''संविधानवादी रास्ते पर मेरा यह धर्म-परिवर्तन भारत और भारत से बाहर रह रहे उन सभी भटके हुए नौजवानों को वापस सही रास्ते पर लाएगा, जो कभी मुझे अपने पथ-प्रदर्शक के तौर पर देखते थे। मैं भारत सरकार जैसा चाहे, उस रूप में उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा यह रूपांतरण अंतरात्मा की पुकार है, उसी तरह मुझे उम्मीद है कि मेरा भविष्य का व्यवहार भी होगा।'' (आर.सी. मजूमदार द्वारा अंडमान में दंड बस्तियों से, संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा 1974 में प्रकाशित)।

और, रिहाई पर, उन्होंने कहा: ''वह युद्ध (द्वितीय विश्वयुद्ध) जो अब सीधे हमारे समुद्र-तटों तक पहुंच गया है, एक साथ एक आपदा और एक अवसर दोनों पैदा करता है, जिससे यह जरूरी हो जाता है कि सैन्यीकरण आन्दोलन को तेज किया जाए और हर शहर और गांव में हिंदू महासभा की हर शाखा को हिंदुओं को सेना, नौसेना, वायु सेना और विभिन्न युद्ध-शिल्प कारखानों में भर्ती होने के लिए जगाने में सक्रिय रूप से जुट जाना चाहिए। ... इसलिए हिंदू महासभाइयों को विशेष रूप से बंगाल और असम के प्रांतों में, एक मिनट भी बर्बाद किये बिना सभी प्रकार के सैन्य बलों में प्रवेश करने के लिए हिंदुओं को प्रभावी ढंग से प्रेरित करना चाहिए।'' (वही पृ. 460-61)।

और फिर, अपने हिंदू राष्ट्र का सार प्रदान करते हुए गोलवलकर ने टिप्पणी की: ''हिंदुस्तान के सभी गैर हिन्दुओं को हिन्दू धर्म का आदर करना होगा और उसे पवित्र मानना होगा। वे हिंदू राष्ट्र की गौरव गाथा के अतिरिक्त अन्य किसी धारणा को प्रश्रय नहीं देंगे। ऐसा न होने पर उन्हें इस देश में पूरी तरह से हिन्दू राष्ट्र के अधीन रहना होगा। उन्हें बगैर किसी दावे और सुविधा के, बगैर किसी पक्षपातपूर्ण आचरण के, यहां तक कि बगैर किसी नागरिक अधिकार के यहां रहना होगा।'' (गोलवलकर, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड) वह नाजी सुप्रीमो हिटलर से बहुत दूर नहीं थे, जब उन्होंने कहा, ''अपनी जाति और संस्कृति की शुद्धता बनाये रखने के लिए जर्मनी ने देश से सामी जातियों यहूदियों का सफाया करके विश्व को चौंका दिया है। जाति पर गर्वबोध यहां अपने सर्वोच्च रूप में व्यक्त हुआ है। जर्मनी ने यह भी बता दिया है कि सारी सदिच्छाओं के बावजूद जिन जातियों और संस्कृतियों के बीच मूलगामी फर्क हों, उन्हें एक रूप में कभी नहीं मिलाया जा सकता। हिंदुस्तान में हम लोगों के लाभ के लिए यह एक अच्छा सबक है।'' (गोलवलकर, वही, पृ. 35) सावरकर की तरह हेडगेवार भी अंग्रेजों के अधीन रहे और घोषणा की कि ''यह हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदू राष्ट्र बनायेंगे।'' इस सबके आलोक में, आरएसएस-भाजपा-संघ परिवार का क्या हक बनता है कि वे राष्ट्रवाद-देशभक्ति के एकमात्र प्रतीक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के गर्वित प्रेक्षक होने का दावा करें और साथ ही देश के विभाजन के लिए दूसरों को दोषी ठहरायें?

अंतिम शब्द

अत:, प्रधानमंत्री मोदी के खुद के वक्तव्य, श्यामा प्रसाद की उनकी भावुक प्रशंसा, स्वतंत्रता दिवस का उनका आडंबरपूर्ण उत्सव, एनसीईआरटी द्वारा इतिहास का विरूपण और सावरकर को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूज्य नेताओं के बराबर रखना असली इरादे को छिपाते हुए लोगों को गुमराह करने और भटकाने के सिवा और कुछ नहीं है; उन संगठनों के इतिहास की निरंतरता के सिवा और कुछ नहीं है, जिन्होंने अपनी स्थापना के पहले दिन से ही देश को धोखा दिया, जो झूठ, छल, नफरत, यहां तक कि धर्म के आधार पर परिभाषित अपने कथित दुश्मन के प्रति भयानक शत्रुता पर फले-फूले।

कॉमरेड शिवदास घोष के शानदार विश्लेषण को एक बार फिर याद करना आवश्यक है: ''साम्राज्यवाद के खिलाफ राजनीतिक आन्दोलन चलाने के दौरान विभिन्न भाषा-भाषी और विभिन्न धर्मावलम्बी भारतीय जनता राजनैतिक तौर पर एक राष्ट्र के रूप में तब्दील तो हो गयी, परंतु राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आजादी आंदोलन में सामंतवाद, सामंती फूट एवं धार्मिक बंधनों के खिलाफ सामाजिक व सांस्कृतिक क्रांति को पूरा करते हुए समाज के जनवादीकरण के काम की पूरी अवहेलना करने की वजह से भारतीय जनता सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में धर्म, जाति, भाषा व नस्ल के आधार पर अलग-अलग समुदायों में बंटी रह गयी। ... इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे वातावरण में हिंदू पुनरुत्थानवाद का नारा अब वास्तव में जोर पकड़ रहा है।'' (सांप्रदायिकता की समस्या के प्रसंग में, चुनिंदा रचनाएं, खंड II)

यह सत्ता के लिए और बुर्जुआ वर्ग के शोषित लोगों को विभाजित रखने, तथ्यों से अनभिज्ञ रखने, धार्मिक पुनरुत्थानवाद, कट्टरता, दकियानूसीपन और हठधर्मिता की अंधी गली में सीमित रखने के वगीय मंसूबा पूरा करने के लिए है कि आरएसएस- भाजपा-संघ परिवार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के विचार का समर्थन कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ-साथ ईसाइयों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि कोई कुछ लोगों को कुछ समय के लिए अटपटी कहानियां बेच तो सकता है, लेकिन ऐसे कूड़े-कचरे को गले से नीचे उतराने के लिए जानकार दिमागों को मजबूर नहीं कर सकता। ●

खाद्य और दवा आदि राहत सामग्री लेकर गजा जा रहे ग्लोबल काफला-ए-सुमूद पर इजरायली हमले की

एसयूसीआई(सी) की कड़ी निन्दा

गजा जा रहे अंतर्राष्ट्रीय काफला-ए-सुमूद (सुमूद फ्लोटिला) को बीच में ही समुद्री डाकुओं की तरह से हमला करने पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 3 अक्तूबर 2025 को जारी प्रेस बयान में कहा:

"हम अंतर्राष्ट्रीय 'काफला-ए-सुमूद' (सुमूद फ्लोटिला) नामक जहाजी बेड़े को जायोनी इजरायल द्वारा सैन्य हस्तक्षेप के जरिये रोकने की कड़ी निंदा करते हैं। राहत सामग्री लेकर गजा जाने वाले 40 से अधिक जहाजों के इस समुद्री बेड़े में 44 से अधिक देशों के 500 नागरिक शामिल हैं। इतिहास में यह अपनी तरह का सबसे बड़ा नागरिक-नेतृत्व वाला काफिला है। गजा की अवैध नाकाबंदी को तोड़ने के एक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर समुद्री डाकू-सुलभ इस हमले से साफ जाहिर है कि अमेरिका समर्थित इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कायदे-कानूनों और प्रचलित राजनयिक दस्तूरों का घोर उल्लंघन करता है। गजावासियों की की गयी यह चौतरफा नाकाबंदी इस बात का साफ सबूत है कि कैसे फिलिस्तीनियों के नस्लीय सफाये का घिनौना मकसद पूरा करने के लिए इजरायली शासक गजा के घिरे हुए असहाय लोगों को भूखे मारने पर तुले हुए हैं।

इससे पहले गत जून में फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन की ओर से ग्रेटा थुनबर्ग और अन्य प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लेकर गजा जा रहे एक अन्य सहायता जहाज को इजरायल ने रोका था, यात्रियों को हिरासत में ले लिया था और बाद में निर्वासित कर दिया गया था। गजा के निहत्थे, निर्दोष और भूखे नागरिकों पर इजरायल का यह एकतरफा हमला अभूतपूर्व व अत्यंत निंदनीय है।

हम बंदियों को तत्काल रिहा करने और इस अत्यंत नृशंस नाकाबंदी को हटाने और युद्ध से तबाह गजा के लोगों तक खाद्य सामग्री और दवाओं सहित अत्यंत आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने का रास्ता खोल देने की पुरजोर मांग करते हैं।"

एआईडीएसओ, कर्नाटक राज्य शिक्षण शिविर

बेल्लारी (कर्नाटक): 20-21 सितम्बर को एआईडीएसओ, कर्नाटक के कार्यकर्ताओं का एक राज्य स्तरीय शिक्षण शिविर बेल्लारी जिले में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इसमें राज्यभर से एआईडीएसओ के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस शिविर का उद्देश्य कार्यकर्ताओं के वैचारिक और संगठनात्मक आधार को मजबूत करना और उन्हें चल रहे संघर्षों का स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ नेतृत्व करने के लिए तैयार करना था।

कार्यकर्ताओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से जीवंत और प्रतिबद्ध थी। समूह चर्चाओं के दौरान उन्होंने जो जिज्ञासा दिखाई, वह उल्लेखनीय थी। उनके द्वारा उठाये गए गूढ़ प्रश्नों ने ज्ञान की उनकी सच्ची प्यास, गहन समझ और छात्र आंदोलन में उच्चतर जिम्मेदारियां निभाने की उनकी उत्सुकता को दर्शाया। सत्रों का संचालन क्रांतिकारी आंदोलन के प्रतिष्ठित नेताओं द्वारा किया गया।

एसयूसीआई(सी) के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड के. राधाकृष्ण ने कॉमरेड प्रभास घोष की प्रेरक पुस्तक 'किशोरों के प्रति' पर बातें रखीं और समाज में युवाओं की भूमिका, मानव जाति के प्रति उनके फर्ज और न्यायपूर्ण व समतावादी सामाजिक व्यवस्था कायम करने के लिए संघर्ष में आवश्यक निस्वार्थता व त्याग के मूल्यों पर प्रकाश डाला।

केंद्रीय कमेटी सदस्य और एसयूसीआई (सी) की कर्नाटक राज्य सचिव कॉमरेड के. उमा ने शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी 'महेश' पर बातें रखते हुए बताया कि शरतचंद्र की रचनाओं का अध्ययन, खासकर छात्र कार्यकर्ताओं में करुणा, संवेदनशीलता और मानवतावादी दृष्टिकोण पैदा करने में आज भी प्रासंगिक है।

एआईडीएसओ के अध्यक्ष कॉमरेड सौरव घोष ने कॉमरेड निहार मुखर्जी की ऐतिहासिक कृति 'छात्र आंदोलन और संगठन के कुछ पहलुओं पर' का जिक्र करते हुए जनवादी छात्र संगठन बनाने के वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैचारिक प्रशिक्षण के महत्व और छात्रों द्वारा अपने संघर्षों को जनता के व्यापक जनवादी आंदोलन से जोड़ने की जरूरत पर प्रकाश डाला।

कर्नाटक में चल रहे लोक शिक्षा बचाओ आंदोलन की पृष्ठभूमि में आयोजित इस अध्ययन शिविर ने आयोजकों को वैचारिक स्पष्टता, राजनीतिक चेतना और संगठनात्मक कौशल से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

PRGI Regn. No. 43022

राज्य और देश के मौजूदा हालात में ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

को लेकर लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने और पूंजीवादी व सत्तालोलुप दलों को बेनकाब करने के मकसद से एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) भी अपने बलबूते पर चुनाव में शिरकत कर रही है। जन आन्दोलन की ताकत तथा गरीबों व किसान-मजदूरों की पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) को समर्थन देकर उसके उम्मीदवारों को विजयी बनाते हुए शोषित लोगों के वर्ग संघर्ष व जन आन्दोलन को मजबूती प्रदान करना ही आज वक्त का तकाजा है।

बिहार विधानसभा चुनाव–2025

पहले चरण की सीटें

क्र.सं.	जिला	वि.स. क्षेत्र संख्या	वि.स. क्षेत्र	प्रत्याशी का नाम
1	मधेपुरा	71	बिहारीगंज	कॉ. पंकज जायसवाल
2	दरभंगा	83	दरभंगा	कॉ. मोजाहिद आलम
3	मुजफ्फरपुर	90	मीनापुर	कॉ. शिव कुमार यादव
4	मुजफ्फरपुर	92	सकरा(एससी)	कॉ. रामसेवक पासवान
5	मुजफ्फरपुर	93	कुढ़नी	कॉ. संजीत मांझी
6	मुजफ्फरपुर	94	मुजफ्फरपुर	कॉ. अमन कुमार झा
7	मुजफ्फरपुर	95	कांटी	कॉ. लालबाबू राय
8	मुजफ्फरपुर	96	बरुराज	कॉ. माधव भगत
9	मुजफ्फरपुर	97	पारू	कॉ. नन्हक साह
10	मुजफ्फरपुर	98	साहेबगंज	कॉ. सुखारी दास
11	वैशाली	123	हाजीपुर	कॉ. इन्द्रदेव राय
12	वैशाली	124	लालगंज	कॉ. राजेन्द्र शर्मा
13	वैशाली	125	वैशाली	कॉ. रामनाथ राय
14	वैशाली	126	महुआ	कॉ. ललित कुमार घोष
15	वैशाली	127	राजापाकर	कॉ. उमेश राम
16	वैशाली	128	राघोपुर	कॉ. महेश सिंह
17	समस्तीपुर	131	कल्याणपुर	कॉ. (अधि.) मधु कृष्णजी राम
18	समस्तीपुर	133	समस्तीपुर	कॉ. (अधि.) राकेश कुमार
19	समस्तीपुर	135	मोरवा	कॉ. चन्द्रशेखर राय
20	बेगूसराय	146	बेगूसराय	कॉ. (अधि.) गौतम कुमार
21	मुंगेर	164	तारापुर	कॉ. भरत मंडल
22	मुंगेर	165	मुंगेर	कॉ. विकाश कुमार आर्य
23	मुंगेर	166	जमालपुर	कॉ. कामेश्वर रंजन
24	लखीसराय	167	सूर्यगढ़ा	कॉ. ललन कोरा
25	नालन्दा	171	अस्थावां	कॉ. दीपक कुमार विद्यार्थी
26	पटना	183	कुम्हरार	कॉ. सरोज कुमार सुमन
27	पटना	190	पालीगंज	कॉ. अनामिका
28	भोजपुर	194	आरा	कॉ. धर्मात्मा शर्मा

दूसरे चरण की सीटें

क्र.सं.	जिला	वि.स. क्षेत्र संख्या	वि.स. क्षेत्र	प्रत्याशी का नाम
1	मधुबनी	38	झंझारपुर	कॉ. (अधि.) विजय कुमार मंडल
2	सुपौल	42	पिपरा	कॉ. रामदेव यादव
3	भागलपुर	156	भागलपुर	कॉ. रवि कुमार सिंह
4	भागलपुर	157	सुल्तानगंज	कॉ. सुनील कुमार
5	बांका	162	कटोरिया(एसटी)	कॉ. ढेना सोरेन
6	बांका	163	बेलहर	कॉ. गिरधारी पंडित
7	अरवल	215	कुर्था	कॉ. रुपेश कुमार
8	जहानाबाद	216	जहानाबाद	कॉ. राजू कुमार
9	जहानाबाद	217	घोसी	कॉ. इंदु कुमारी
10	औरंगाबाद	221	नबीनगर	कॉ. अनिल राम
11	औरंगाबाद	223	औरंगाबाद	कॉ. प्रयाग पासवान
12	जमुई	242	झाझा	कॉ. रमेश कुमार बेसरा

एसयूसीआई (सी) ने की स्विट्जरलैंड में आयोजित जिमरवाल्ड सम्मेलन में शिरकत

1914 में जब बाजार पर कब्जा करने को लेकर साम्राज्यवादी देशों के बीच द्वंद्व-संघर्ष के कारण प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ा, तो दूसरे इंटरनेशनल के ज्यादातर नेता ''देशद्रोही, सर्वहारा वर्ग के विश्वासघाती और पूंजीपति वर्ग के सेवक साबित हुए'' क्योंकि उन्होंने सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत को त्यागकर अपने-अपने देशों के सत्तारूढ़ साम्राज्यवादी-पूंजीवादी शासकों का साथ दिया था और युद्ध ऋणों के पक्ष में मतदान किया था। 1915 में युद्ध-विरोधी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादियों ने भावी कार्यक्रम तय करने के लिए स्विट्जरलैंड के जिमरवाल्ड में एक सम्मेलन आयोजित किया था। उसमें लेनिन ने समाजवादी पार्टियों के अवसरवाद की कड़ी आलोचना की थी और मांग की थी कि समाजवादी युद्ध ऋणों के खिलाफ वोट दें और अपील की थी कि समाजवाद कायम करने के लिए इस साम्राज्यवादी युद्ध को गृहयुद्ध में बदल दें। उन्होंने यह कहते हुए कि दूसरे इंटरनेशनल ने ''अपना क्रांतिकारी चरित्र खो दिया है'', दूसरे इंटरनेशनल को भंग करने और एक नये तीसरे इंटरनेशनल का गठन करने का आह्वान किया था। लेनिन द्वारा अपनायी गई क्रांतिकारी लाइन को याद करने के लिए फासीवाद, युद्ध और पर्यावरण विनाश के खिलाफ जर्मनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चे ने अपने 6-7 सितंबर को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में जिमरवाल्ड सम्मेलन 2 आयोजित किया। इस सम्मेलन में 32 देशों के 403 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 95 व्यक्तिगत रूप से और 308 ऑनलाइन शामिल हुए। निमंत्रण पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने प्रोफेसर (डॉ) ध्रुवज्योति मुखर्जी को सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा। पीटर नोवाक (स्वतंत्र पत्रकार और ''काउंसिल कम्युनिस्ट'') ने अपने स्वागत भाषण में लेनिन और बोल्शेविकों के नेतृत्व वाले 'जिमरवाल्ड वामपंथी' समूह की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने लेनिन की इस सीख पर प्रकाश डाला कि साम्राज्यवादी युद्ध के दौरान मजदूर वर्ग को अपने ही देश की साम्राज्यवादी सत्ता को हराने के लिए काम करना चाहिए और उस युद्ध को क्रांतिकारी गृहयुद्ध में बदल देना चाहिए और पूंजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। यह सीख रूस की नवम्बर क्रांति में चरितार्थ हुई और इसने हंगरी, जर्मनी और कई अन्य देशों में क्रांतिकारी मजदूर वर्ग आंदोलनों को जन्म दिया। जिमरवाल्ड से यह सबक मिलता है कि आज ''पूंजीवादी खेमों की दुनिया में मजदूर किसी भी खेमे का साथ नहीं दें, बल्कि उनका कर्तव्य पूंजीवादी युद्धों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ग संघर्ष छेड़ना है।'' जर्मनी की एमएलपीडी पार्टी के अध्यक्ष गैबी

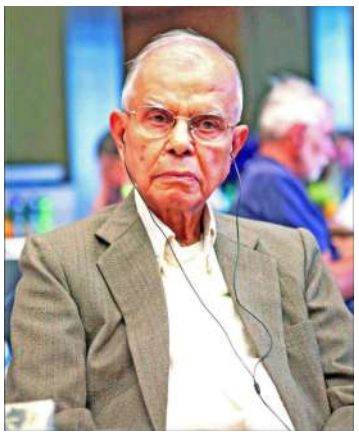

कॉमरेड ध्रुवज्योति मुखर्जी

फेचनर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह सम्मेलन उन ताकतों का सम्मेलन है, जो तीसरा विश्वयुद्ध भड़कने के खिलाफ संघर्षरत हैं और जिमरवाल्ड की भावना को कायम रखे हुए हैं। इसलिए विभिन्न लेनिनवादी ताकतों के विचारों और रायों के आदान-प्रदान की जरूरत महसूस की गई।

'साम्राज्यवाद, फासीवाद और जन प्रतिरोध' शीर्षक से चर्चा के मुख्य वक्ता के रूप में अपने भाषण में प्रोफेसर ध्रुवज्योति मुखर्जी ने उल्लेख किया कि एसयूसीआई (सी) के संस्थापक और उस युग के एक विशिष्ट मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष ने 60 साल से भी पहले आगाह कर दिया था कि दूसरे विश्वयुद्ध में महान स्तालिन के नेतृत्व वाले समाजवादी सोवियत राज्य की बदौलत फासीवादी धुरी शक्तियों की हालांकि हार हुई थी, लेकिन फासीवाद खत्म नहीं हुआ था। फासीवाद आज भी, चाहे विकसित हो या विकासशील, सभी साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों की राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे की एक आम विशेषता के रूप में विद्यमान है। कॉमरेड शिवदास घोष ने स्पष्ट रूप से दर्शाया था कि ऐतिहासिक रूप से फासीवाद एक प्रकार की प्रति-क्रांति का सशर्त रूप है, जिसमें पूंजीवाद एक पूर्वानुमानित कदम से क्रांति को रोकना चाहता है। फासीवाद की विशिष्ट विशेषताएं मुख्य रूप से हैं आर्थिक केंद्रीकरण, राज्य में राजनीतिक शक्ति का अधिकतम संकेंद्रण और विज्ञान के साथ आध्यात्मिकता और तकनीकी पहलुओं के एक अजीबोगरीब घालमेल के जरिये एक खास सांचे में ढली कठोर नियमन वाली संस्कृति। कॉमरेड घोष ने यह भी कहा था कि संसदीय लोकतंत्र के चोले 'लोकतांत्रिक' दिखावे में फासीवाद का प्रकट होना सबसे भ्रामक है। प्रोफेसर मुखर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि आज की दुनिया में उग्र दक्षिणपंथी फासीवादी ताकतें हावी हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, जायोनी इजराइल, भारत, बांग्लादेश और कई अन्य देशों में। अच्छी बात यह है कि लोगों का प्रतिरोध उभर रहा है, मिसाल के लिए, भारत में एक साल से ज्यादा समय तक चला जुझारू संयुक्त किसान आंदोलन सरकार को किसान-विरोधी तीन काले कानून वापस लेने पर मजबूर करने में कामयाब रहा। समय की मांग है कि सभी साम्राज्यवाद-विरोधी और फासीवाद- विरोधी ताकतों का एक बड़ा मंच बनाया जाए, जिसके केंद्र में कम्युनिस्ट हों ताकि सभी देशों में पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवादी युद्ध, फासीवादी संस्कृति और जीवन के हर क्षेत्र में फासीवादी हमले के खिलाफ जुझारू जन आंदोलन गठित किये जा सकें।

सम्मेलन के प्रत्येक सत्र के बाद प्रतिनिधियों द्वारा उत्साहपूर्ण चर्चा की गई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नये सिरे से दुनिया के दोबारा बंटवारे को लेकर साम्राज्यवादी देशों के बीच द्वंद्व बढ़ रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी माओवादी) के प्रतिनिधि ने टिप्पणी की कि चीन एक साम्राज्यवादी देश है और अमेरिका के नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी गुट के खिलाफ रूस के साथ मिलकर एक गुट बना रहा है। इसी तरह रूस के प्रतिनिधि ने भी रूस की साम्राज्यवादी आक्रामकता की आलोचना की। लेनिन के समकालीन और जर्मन कम्युनिस्ट लीग के नेता कार्ल लिबक्नेख्त की पोती, जो अब ऑस्ट्रिया में रहती हैं, ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन में हर मुद्दे पर प्रतिभागियों के बीच विस्तार से गहन चर्चा के बाद अंततः 20-सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। जहां सर्वसम्मति नहीं हो सकी, वहां बहुमत से मतदान किया गया। यह खुशी की बात है कि कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं पर आधारित प्रोफेसर मुखर्जी के भाषण में उठाये गए तीनों मुख्य बिंदु इस प्रस्ताव में शामिल किये गए।

महान स्तालिन की भूमिका के एसयूसीआई (सी) के विश्लेषण में बहुत गहरी रुचि थी। कॉमरेड शिवदास घोष का 'ख्रुश्चोव के नाम खुला पत्र' नामक पुस्तिका और कॉमरेड प्रभास घोष की स्तालिन पर पुस्तक की सभी उपलब्ध प्रतियां बिक गईं। इटली के एक कॉमरेड ने बताया कि वे एक नई पार्टी बना रहे हैं और वे हमारे प्रकाशन, 'भारत में एसयूसीआई (सी) ही एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी क्यों' को पढ़ने के लिए बड़े उत्सुक थे। एमएलपीडी के एक संगठनकर्ता विशेष रूप से कॉमरेड प्रभास घोष की स्तालिन पर पुस्तिका और कॉमरेड शिवदास घोष की चेकोस्लोवाकिया में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप और रूस में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना पर पुस्तक चाहते थे।

जिमरवाल्ड सम्मेलन के अनुभव ने साबित कर दिया कि अगर हम कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों को हर देश में पहुंचा सकें, तो इसका बड़े उत्साह से स्वागत किया जाएगा।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**